न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः 210/2021/दावा 136 एलआरएक्ट

सन्तोष देवी पुत्री सुरजा पत्नि मोहनलाल जाति जाट निवासीनी सारणों की ढाणी, कैलाश, धींगपुर तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।

—वादीनी

ब ना म

राज्य सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)

—प्रतिवादी

दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थिति—

1. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील वादी की ओर सें।

निर्णय दिनांक— 24.11.2022

1 वाद पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि ख.नं. 597 ता 613, 804 कुल किता 18 कुल रकबा 5.0000 हैक्टर व ख.नं. 617 रकबा 0.0500 हैक्टर व ख.नं. 590 ता 594, 615, 616, 618, 619, 630/398, 643/939 कुल किता 11 कुल रकबा 5.4100 हैक्टर व ख.नं. 19 रकबा 2.6700 हैक्टर व ख.नं. 400 रकबा 0.7200 हैक्टर ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें वादीनी का नाम सज्या देवी पुत्री सुरजा दर्ज है उक्त भूमियों में वादीनी का जमाबंदी राजस्व रिकार्ड में दर्जानुसार हक हिस्सा है, जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी से प्रमाणित है। वादीनी का सही व वास्तविक नाम सन्तोष देवी पुत्री सुरजा है जो परिवार राशन कार्ड, भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड में वादीनी का नाम सन्तोष देवी पुत्री सुरजा दर्ज है। राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों की गलती व लापरवाही से वादीनी का नाम सन्तोष देवी पुत्री सुरजा की जगह सज्यादेवी पुत्री सुरजा दर्ज हो गया हैं जो गलत है, सज्यादेवी पुत्री सुरजा की जगह वादीनी का सही व वास्तविक नाम सन्तोषदेवी पुत्री सुरजा उघोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में संशोधन के आदेश पारित किया

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

जाना सादर प्रार्थनीय है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादीनी का नाम राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों की लापरवाही से सन्तोष देवी पुत्री सुरजा के स्थान पर सज्या देवी पुत्री सुरजा दर्ज हुआ है जो गलत है, वादीनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रमाणित है कि वादीनी का सही व वास्तविक नाम सन्तोष देवी पुत्री सुरजा है तथा सज्या देवी पुत्री सुरजा व सन्तोष देवी पुत्री सुरजा एक ही महिला है जो संशोधन किये जाने योग्य है। उक्त दुरूस्ती करवाने हेतु वादीनी तहसील कार्यालय दांतारामगढ में गयी तो तहसीलदार ने उक्त संशोधन करने से मना कर दिया, उसके पश्चात वादीनी ने श्रीमानजी की सेवामें दावा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। अतः दावा पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि दावा स्वीकार कर भूमि खसरा नम्बर 597 ता 613, 804 कुल किता 18 कुल रकबा 5.0000 हैक्टर व ख.नं. 617 रकबा 0.0500 हैक्टर व ख.नं. 590 ता 594, 615, 616, 618, 619, 630/398, 643/939 कुल किता 11 कुल रकबा 5.4100 हैक्टर व ख.नं. 19 रकबा 2.6700 हैक्टर व ख.नं. 400 रकबा 0.7200 हैक्टर ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज वादीया का नाम संज्यादेवी पुत्री सुरजा के स्थान पर सन्तोष देवी पुत्री सुरजा दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2 वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर क़िया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि वादीया का नाम संज्यादेवी पुत्री सुरजा के स्थान पर सन्तोष देवी पुत्री सुरजा दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

Perm

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

3 बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वाद पत्र में वर्णित तथ्यो का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का अलोदा से ली गई जिसके अनुसार ग्राम भगवानपुरा की जमाबन्दी के ख.नं. 19, 400, 590 से 594, 615 से 618, 630/938, 643/934, 597 से 613, 804, 617 उपरोक्त खसरो में खातेदार वादीनी का नाम संज्यादेवी पुत्री सुरजा दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी के आधार पर वादीनी का नाम राशन कार्ड, वोटर आई.डी. आदी दस्तावेजो में संतोषदेवी पुत्री सुरजा व संतोषदेवी पत्नि मोहनलाल दर्ज है। पंचायत राजपुरा (नोसाल) के रिपोर्ट पटवारी व दस्तावेजों के आधार पर संज्यादेवी के स्थान पर संतोषदेवी किया जाना उचित है। रिकार्ड संशोधन की अभिशंषा की जाती है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि वादी का दावा स्वीकार योग्य है। **वादीया का दावा रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 597 ता 613, 804 कुल किता 18 कुल रकबा 5.0000 हैक्टर व ख.नं. 617 रकबा 0.0500 हैक्टर व ख.नं. 590 ता 594, 615, 616, 618, 619, 630/398, 643/939 कुल किता 11 कुल रकबा 5.4100 हैक्टर व ख.नं. 19 रकबा 2.6700 हैक्टर व ख. नं. 400 रकबा 0.7200 हैक्टर ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में दर्ज वादीया का नाम संज्या देवी पुत्री सुरजा के स्थान पर वादीया का सही व वास्तविक नाम सन्तोष देवी उर्फ संज्या देवी पुत्री सुरजा दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/11/22

(प्रतिभा वर्मा IAS)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़